

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या १७/२०१७

मिस्त्रीलाल S।० मांगीलाल जाट बनाम
नि० मानपुरा

- ① कुंलाश S।० मोती जाट नि० मानपुरा
- ② अरु S।० देवी जाट नि० मानपुरा
- ③ हीरा S।० देवी जाट नि० मानपुरा
- ④ मांगू S।० भूरा जाट नि० मानपुरा

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा १११-१२८ रा०ले०रे०ए०

- आदेश :-

दिनांक 15/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री मिस्त्रीलाल S।० मांगीलाल जाट ने जरिये अभिभाषक श्री D.K. पोरवाल Adv. ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम मानपुरा प०ह० मानपुरा तह० माण्डलगढ में आराजीन० 1423, 1427, 1430, कित्ता 3 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा

कित्ता 3 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।


पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।


अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०ले०रे०ए० स्वीकार किया जाकर ग्राम मानपुरा की आराजी न० 1423, 1427, 1430 कित्ता 3 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा

रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा की बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 400 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ जि-भीलवाडा


उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ.